7

सरकारी विधेयक—विधायी प्रक्रिया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और इसमें सरकारी विधेयकों के बारे में सभा में विधायी संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। यह संविधान, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम और प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों और पीठासीन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये गये निर्णयों/विनिर्णयों पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी संपूर्ण नहीं है। अतः, पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

सरकारी विधेयक–विधायी प्रक्रिया

प्राक्कथन

संसद का मूल कार्य विधान बनाना, इनमें संशोधन करना अथवा इनका निरसन करना है। संसद के संबंध में कानून बनाने की प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिसके माध्यम से किसी विधायी प्रस्ताव को, जो उसके समक्ष लाया गया हो, देश के विधान में रूपांतरित किया जाता है। सभी विधायी प्रस्तावों को विधेयक के रूप में संसद के समक्ष लाया जाता है। विधेयक संविधि का ही प्रारूप होता है और कोई भी विधेयक, तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक उसे संसद की दोनों सभाओं की स्वीकृति तथा राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती।

कानून बनाने की प्रक्रिया संसद की दोनों सभाओं में से किसी भी सभा में विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने से आरंभ होती है। विधेयक मंत्री द्वारा या किसी सदस्य द्वारा पुर:स्थापित किया जा सकता है। मंत्री द्वारा पुर:स्थापित किए जाने की स्थिति में इसे सरकारी विधेयक कहा जाता है तथा सदस्य द्वारा पुर:स्थापित किये जाने की स्थिति में इसे गैर-सरकारी विधेयक कहा जाता है।

(विस्तृत विवरण हेतु कृपया संसदीय प्रक्रिया सारांश माला सं. 3 **देखें***)*

सरकारी विधेयक

विधेयक की सूचना

2. यदि कोई मंत्री कोई विधेयक पुर:स्थापित करना चाहता/चाहती है तो उसे विधेयक के पुर:स्थापन के लिए सभा की अनुमति मांगने के आशय की लिखित सूचना सात दिन पहले देनी पड़ती है। तथापि, अध्यक्ष चाहे तो पुर:स्थापन की अनुमति मांगने के प्रस्ताव को इससे कम अवधि की सूचना पर स्वीकार कर सकता है।

विधेयक का परिचालन

3. किसी विधेयक को पुर:स्थापन हेतु कार्यसूची में तब तक शामिल नहीं किया जाता है जब तक विधेयक के पुर:स्थापित किये जाने की प्रस्तावित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व इसे सदस्यों द्वारा उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तथापि पूर्व परिचालन की यह शर्त विनियोग विधेयकों, वित्त विधेयकों तथा ऐसे गोपनीय विधेयकों जिन्हें कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया है पर लागू नहीं होती है। तथापि, अध्यक्ष किसी विधेयक को पूर्व परिचालन के बिना अथवा परिचालन के पश्चात् दो दिन की अवधि के भीतर पुर:स्थापित करने की अनुमति दे सकता है यदि संबंधित मंत्री अध्यक्ष के विचारार्थ ज्ञापन में इस बात के पर्याप्त कारण देता है कि विधेयक को प्रतियों के परिचालन के पश्चात् अथवा बिना पूर्व परिचालन के दो दिन से पहले पुर:स्थापित किया जाना क्यों प्रस्तावित है।

2

सरकारी विधेयकों का पारित किया जाना

4. विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व संसद की दोनों सभाओं अर्थात् लोक सभा और राज्य सभा में इसके तीन वाचन होते हैं।

प्रथम वाचन

5. प्रथम वाचन में सभा में किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का उल्लेख होता है जिसके स्वीकृत होने पर विधेयक को पुर:स्थापित किया जाता है।

यदि कोई विधेयक राज्य सभा में मूल रूप से पुर:स्थापित तथा पारित किया जाता है तो प्रथम वाचन में इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा जाना कहा जा सकता है।

विधेयक के पुर:स्थापन के विरोध के बारे में प्रक्रिया

6. विधेयक के पुर:स्थापित किये जाने के प्रस्ताव का किसी भी सदस्य द्वारा सामान्य आधारों पर या इस आधार पर विरोध किया जा सकता है कि यह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायी क्षमता से परे है। कोई सदस्य जो किसी विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करना चाहता है तो उसे उस

दिन 10.00 बजे तक अपने विरोध को स्पष्ट और सुव्यक्त करते हुए सूचना देनी होगी जिस दिन विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने हेतु कार्यसूची में शामिल किया जाना है।

यदि विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने की अनुमति का विरोध होता है तो अध्यक्ष प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को तथा प्रस्ताव पेश करने वाले मंत्री को संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुमति दे सकता है। तत्पश्चात् प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखा जाता है। तथापि, यदि प्रस्ताव का विधायी क्षमता के आधार पर विरोध किया जाता है तो अध्यक्ष इस पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दे सकता है।

लोक सभा की यह स्वीकार्य प्रथा है कि अध्यक्ष इस प्रश्न पर कोई विनिर्णय नहीं देता है कि कोई विधेयक संवैधानिक रूप से सभा की विधायी क्षमता के भीतर है या नहीं। सभा किसी विधेयक की अधिकारिता के विशिष्ट प्रश्न के संबंध में भी कोई निर्णय नहीं लेती है। वाद-विवाद के पश्चात् अध्यक्ष विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने की अनुमति के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता है।

राजपत्र में विधेयकों का प्रकाशन

7. विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने के पश्चात् इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

7

तथापि, विधेयक को सभा में पुर:स्थापित किये जाने से पूर्व विधेयक के प्रभारी मंत्री के अनुरोध पर अध्यक्ष यदि भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की अनुमति देता है तो इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जा सकता है। यदि विधेयक के पुर:स्थापित किये जाने से पूर्व इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है तो सदस्य बाद में सभा में इसके पुर:स्थापित किये जाने का विरोध नहीं कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि विधेयक के पुर:स्थापित किये जाने के प्रस्ताव को पेश किया जाए जिसे अध्यक्ष के आदेशों के अंतर्गत भारत के राजपत्र में पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। ऐसे विधेयक का आगामी चरण पुर:स्थापित किया जाना है, जो पुर:स्थापित किये जाने की अनुमति से भिन्न है। तथापि, विधेयक में, इसके राजपत्र में प्रकशित किये जाने के पश्चात् यदि, कोई परिवर्तन किया जाता है तो यह एक नया विधेयक बन जाता है और विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने की अनुमति का प्रस्ताव उसी तरह किया जाता है जैसाकि अन्य विधेयक के मामले में किया जाता है।

वे विधेयक जो केवल लोक सभा में ही पुर:स्थापित किये जा सकते हैं

8. कोई भी विधेयक संसद की किसी भी सभा में पुर:स्थापित किया जा सकता है। तथापि, धन विधेयक को राज्य सभा में पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसे लोक सभा में पुर:स्थापन

5

के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से केवल लोक सभा में पुर:स्थापित किया जा सकता है। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।

9. धन विधेयक की तरह वे विधेयक जो अन्य बातों के साथ-साथ अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उप-खंड (क) से (च) के उपबंध के अंतर्गत आते हैं, को भी राज्य सभा में पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता है। इन्हें भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोक सभा में पुर:स्थापित किया जा सकता है। तथापि, धन विधेयकों के संबंध में अन्य निर्बंधन ऐसे विधेयकों पर लागू नहीं होते हैं।

(विस्तृत विवरण हेतु कृपया संसदीय प्रक्रिया सारांश माला सं. 7 **देखें***)।*

विधेयकों का विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों को सौंपा जाना

10. विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों का एक महत्वपूर्ण कार्य ऐसे विधेयक को जिन्हें दोनों सभाओं में से किसी भी सभा में पुर:स्थापित किया गया हो, की जांच करना है जो राज्य सभा के सभापति अथवा लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा यथास्थिति, सौंपे गए हैं तथा इस पर निर्धारित अवधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

होता है। सामान्यत:, समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु तीन माह का समय दिया जाता है।

विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार सामान्यतया अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयकों, पुराने कानूनों का निरसन करने वाले विधेयकों, विनियोग विधेयकों, वित्त विधेयकों और तकनीकी अथवा साधारण प्रकृति के विधेयकों के अलावा सभी सरकारी विधेयकों की जांच करने और उन पर प्रतिवेदन देने के लिए संबंधित विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों को भेजा जाता है।

स्थायी समितियों के प्रतिवेदन सलाहकारी स्वरूप के होते हैं, और उन्हें समितियों की सुविचारित राय माना जाता है। यदि सरकार समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार करती है, वह विधेयक पर विचार किये जाने के प्रक्रम में सरकारी संशोधन ला सकती है अथवा स्थायी समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक वापस ले सकती है और स्थायी समिति की ऐसी सिफारिशों को जो सरकार को स्वीकार्य हों, समाहित करने के पश्चात् नया व्यापक विधेयक ला सकती है।

द्वितीय वाचन

11. विधेयक का द्वितीय वाचन दो प्रक्रमों में होता है।

द्वितीय वाचन का पहला प्रक्रम

12. पहले प्रक्रम में विधेयक के सिद्धान्तों और इसके उपबंधों पर सामान्यत: निम्नलिखित में से कोई एक प्रस्ताव कि विधेयक

पर विचार किया जाए, अथवा, यह कि विधेयक सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाए; अथवा यह कि विधेयक दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को दूसरी सभा की सहमति से सौंपा जाए; अथवा यह कि विधेयक पर लोगों की राय जानने के उद्देश्य से इसे परिचालित किया जाए, शामिल है। तथापि, धन विधेयक दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा नहीं जा सकता है।

इस प्रक्रम में, लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 75 में किए गए उपबंध के अनुसार मंत्री द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर किसी सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है।

(विस्तृत विवरण हेतु कृपया संसदीय प्रक्रिया सारांश माला सं. 2 **देखें***)।*

विधेयक, राज्य सभा में उद्भूत और पारित होने की दशा में, यह प्रस्ताव कि राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किया जाए, ही पेश किया जा सकता है। इस मामले में, यदि विधेयक पहले ही दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा नहीं गया है तो कोई सदस्य संशोधन पेश कर सकता है कि विधेयक सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाए।

प्रवर/संयुक्त समिति के समक्ष विधेयक

13. यदि कोई विधेयक किसी प्रवर अथवा संयुक्त समिति को सौंपा जाता है, तो वह विधेयक पर सभा की ही भांति

खण्ड-वार विचार करती है। समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न खंडों में संशोधन पेश किये जा सकते हैं।

प्रवर समिति अथवा दोनों सभाओं की संयुक्त समिति जिसे विधेयक पर विचार करने का कार्य सौंपा गया है, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है और आम जनता के साथ-साथ विशेषज्ञता प्राप्त हित समूहों से ज्ञापन आमंत्रित करती है ताकि समिति के समक्ष सामग्रियां और दृष्टिकोण रखे जा सकें। समिति विशेषज्ञ साक्ष्य तथा इस उपाय द्वारा प्रभावित विशेष हित समूहों के प्रतिनिधियों की राय भी सुन सकती है।

जनता की राय प्राप्त करने के लिए विधेयक परिचालित किया जाना

14. यदि किसी विधेयक को जनता की राय जानने के लिए परिचालित किया जाता है तो ऐसी राय राज्य सरकार के अभिकरण के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

जहां कोई विधेयक राय जानने के लिए परिचालित कर दिया गया हो और उस पर राय प्राप्त हो गई हो और सभा पटल पर रख दी गई हो तो ऐसे विधेयक के संबंध में अगला प्रस्ताव विधेयक को किसी प्रवर अथवा संयुक्त समिति को सौंपने के लिए किया जाए। साधारण तौर पर इस प्रक्रम में विधेयक पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव पेश करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती है जब तक कि अध्यक्ष इसकी अनुमति नहीं दे।

संसद के समक्ष विधेयक पर याचिकाएं

15. विधेयकों से संबंधित याचिकाओं की संसदीय युक्ति से विधान की प्रक्रिया को एक जनतांत्रिक स्वरूप प्राप्त होता है। दोनों सभाओं के समक्ष प्रस्तुत विधेयकों के संबंध में जनता से प्राप्त याचिकाओं की जांच याचिका संबंधी समिति द्वारा की जाती है और इसे विस्तृत अथवा संक्षिप्त रूप में सभा के सदस्यों को परिचालित किया जाता है ताकि सदस्य किसी विशिष्ट विधायी प्रस्ताव पर जनता के विचारों से अवगत हो सकें।

द्वितीय वाचन का दूसरा प्रक्रम

16. द्वितीय वाचन के दूसरे प्रक्रम में लोक सभा में यथापुर:स्थापित अथवा किसी प्रवर अथवा संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित अथवा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक, जैसा मामला हो, पर खंडवार विचार किया जाना शामिल है। विधेयक के प्रत्येक खंड पर चर्चा होती है और इस प्रक्रम में संशोधन पेश किये जा सकते हैं। प्रत्येक संशोधन और प्रत्येक खंड पर सभा में मतदान कराया जाता है। ऐसे संशोधन, यदि इन्हें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो यह विधेयक का भाग हो जाते हैं। खंडों, अनुसूचियों, यदि कोई हों, के पश्चात्, खंड एक, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम सभा द्वारा संशोधन सहित अथवा बिना किसी संशोधन के स्वीकृत होने के बाद द्वितीय वाचन को पूरा मान लिया जाता है।

तृतीय वाचन

17. तृतीय वाचन इस प्रस्ताव की चर्चा से संबंधित है कि विधेयक अथवा यथासंशोधित, विधेयक, पारित किया जाए। इस प्रक्रम में, वाद-विवाद विधेयक के विस्तृत ब्यौरे का उल्लेख किए बिना विधेयक के समर्थन अथवा विरोध में तर्क, जहां तक यह तर्क के प्रयोजन से आवश्यक हो, दिये जाने तक सीमित होता है। इस प्रक्रम में केवल औपचारिक, मौखिक अथवा परिणामी संशोधनों की ही अनुमति दी जाती है।

दूसरी सभा में विधेयक

18. लोक सभा में विधेयक पारित होने के बाद इस पर सहमति हेतु इस आशय के संदेश सहित इसे राज्य सभा में भेजा जाता है। संदेश प्राप्त होने पर, सर्वप्रथम विधेयक राज्य सभा के सभा पटल पर रखा जाता है जिसे उस सभा में विधेयक के प्रथम वाचन का प्रक्रम माना जाता है। तत्पश्चात् विधेयक पुनः इसी प्रक्रम अर्थात द्वितीय वाचन की प्रक्रिया से गुजरता है जिसमें या तो इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है कि विधेयक पर विचार किया जाए अथवा इसे उस सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाए और तृतीय वाचन का प्रक्रम आता है। राज्य सभा या तो लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर सहमत हो सकती है अथवा विधेयक को संशोधन के साथ इस पर सहमति के लिए लोक सभा को वापस भेज सकती है।

तथापि, लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा को भेजे गए धन विधेयक को विधेयक प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की समयावधि के भीतर वापस करना पड़ता है। राज्य सभा धन विधेयक पर अपनी सिफारिश देकर अथवा बिना किसी सिफारिश के वापस कर सकती है। लोक सभा, राज्य सभा की सभी अथवा किसी एक सिफारिश को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के लिए स्वतंत्र है।

तथापि, यदि राज्य सभा 14 दिन की निर्धारित समयावधि के भीतर धन विधेयक वापस नहीं करती है, तो 14 दिन की अवधि समाप्त हो जाने पर इसे लोक सभा द्वारा पारित रूप में दोनों सभाओं द्वारा पारित मान लिया जाता है।

विधेयक पर दोनों सभाओं की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् या तो बिना किसी संशोधन के अथवा केवल ऐसे संशोधनों के साथ जिन पर दोनों सभाओं की सहमति हो, इसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

संविधान संशोधन विधेयक

19. संविधान में संसद द्वारा संशोधन करने की शक्ति निहित है। संविधान संशोधन विधेयक संसद की किसी सभा में पुर:स्थापित किये जा सकते हैं। जबकि संविधान संशोधन विधेयकों को पुर:स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव साधारण बहुमत, सभा की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले संसद

सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा इन विधेयकों पर विचार किये जाने तथा पारित करने हेतु प्रभावी खंडों और प्रस्तावों को स्वीकार करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परन्तुक में उल्लिखित महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावित करने वाले संविधान संशोधन विधेयकों को संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये जाने के बाद राज्य विधानमंडलों के न्यूनतम आधे सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन भी कराना होता है।

[विस्तृत विवरण हेतु कृपया संसदीय प्रक्रिया सारांश माला सं. 9 **देखें***]*

विधेयक का वापस लिया जाना

20. विधेयक का प्रभारी मंत्री, जिसने लोक सभा में विधेयक पुर:स्थापित किया है, विधेयक के किसी प्रक्रम पर विधेयक को इस आधार पर वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकेगा कि:

(क) विधेयक में अंतर्विष्ट विधायी प्रस्ताव समाप्त किया जाना है; या

(ख) बाद में उस विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है जिससे इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों में सारवान रूप से फेरबदल हो जाएगा; या

(ग) बाद में उस विधेयक के स्थान पर नया विधेयक लाया जाना है जिसमें अन्य उपबंधों के अतिरिक्त उसके सभी या कोई उपबंध सम्मिलित हों।

और यदि ऐसी अनुमति मिल जाती है तो उस विधेयक के संबंध में कोई अग्रेतर प्रस्ताव नहीं किया जाएगा।

यदि राज्य सभा द्वारा पारित कोई विधेयक लोक सभा में लंबित हो तो विधेयक को वापस लिये जाने की सिफारिश करने वाला प्रस्ताव, सभा द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर, राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए प्रेषित किया जाता है। यदि राज्य सभा प्रस्ताव पर सहमति दे देती है तो विधेयक को वापस लिये जाने का प्रस्ताव लोक सभा में पेश किया जाता है और इस पर प्रायिक रीति से आगे की कार्यवाही की जाती है और जब प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो इस आशय का एक संदेश राज्य सभा को भेजा जाता है। लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा में लंबित विधेयक के मामले में राज्य सभा में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

संयुक्त बैठक

21. यदि एक सभा द्वारा पारित विधेयक दूसरी सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है अथवा विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों से सभाएं अंततः असहमत हो जाती हैं अथवा दूसरी सभा को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से छह माह से अधिक समय बीत चुका हो और इसने विधेयक पारित न किया हो तो राष्ट्रपति, जब तक कि लोक सभा भंग होने के कारण विधेयक

व्यपगत न हुआ हो, गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुला सकता है।

राष्ट्रपति ने राज्य सभा के सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष के साथ परामर्श करके सभाओं की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड (3) के अनुसरण में संसद की सभाएं (संयुक्त बैठक और संसूचना) नियम बनाये हैं।

विधेयक को दोनों सभाओं द्वारा उस रूप में पारित किया गया माना जाता है जिस रूप में इसे संयुक्त बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों सभाओं के सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाता है।

धन विधेयक अथवा संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती।

किसी विधेयक पर दोनों सभाओं के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए कदम उठाने के लिए राष्ट्रपति को संविधान द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं परंतु राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि वह सभाओं को संयुक्त बैठक करने के लिए बुलाए। तथापि, एक बार राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक के लिए सभाओं को बुलाने का अपना आशय अधिसूचित कर दिये जाने पर,

लोक सभा के तदनन्तर भंग हो जाने पर भी विधेयक पर आगे की कार्यवाही में कोई बाधा नहीं आती। संयुक्त बैठक किये जाने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं है। यह अधिसूचना के पश्चात् कभी भी आयोजित हो सकती है।

राष्ट्रपति की अनुमति

22. विधेयक अंत में जिस सभा के पास होता है, उस सभा का सचिवालय उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करता है। धन विधेयक या सभाओं की संयुक्त बैठक में पारित विधेयक के मामले में, लोक सभा सचिवालय राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है। राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के पश्चात् विधेयक अधिनियम बन जाता है।

राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति दे सकता है/सकती है अथवा अनुमति रोक सकता है। राष्ट्रपति, यदि यह धन विधेयक न हो तो, सभाओं को विधेयक पर पुन: विचार करने की अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक लौटा भी सकता है/सकती है और यदि सभाएं विधेयक को संशोधनों सहित अथवा संशोधनों के बिना ही पुन: पारित कर देती हैं तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अनुमति नहीं रोक सकता/सकती। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है।

[सरकारी विधेयकों के संबंध में विधायी प्रक्रिया संविधान के विभिन्न उपबंधों, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों तथा अध्यक्ष के निदेशों द्वारा शासित होती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 107 से 111, 117, 245 से 255 और 274 में निहित उपबंध प्रक्रिया नियमों के नियम 64 से 159, 218, 219, 331ङ, 331ज और 335 तथा अध्यक्ष द्वारा निदेशों के निदेश 19क से 26 और 31 से 37 शामिल हैं।]

17